

दिनांक 05-01-23 को पेश हों।

05⁰¹/₂₃

बहुलाय डेप्टी भी उपस्थित नहीं है। मूल वाफ
09 R05 में खारिज किया जा चुका है।
इसलिए यह पत्रावली भी इसी स्तर पर
अदम हाजिरे - डायरी पंखी तथा 'पानालय'
आदेश से पालना नहीं करे कि पत्रावली
09 R05 में खारिज की जाती है। पत्रावली
कैलकुल थुमार होकर नम्बर से कम है।
बाफ पूर्व शामिल दफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अनवर) नजद